

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल  
शिमला - 171 003



Office of the Principal Accountant General (Audit)  
Himachal Pradesh,  
Gorton Castle, Shimla-171 003

**कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER**

सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में आया है कि पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद गॉर्टन कैसल भवन एवं रेलवे बोर्ड बिल्डिंग के कार्यालय परिसर में तंबाकू चबाने तथा शौचालय/वॉशरूम में धूम्रपान की घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। इसके अतिरिक्त वाशरूम में खाने की वस्तुएं फेंकने की शिकायतें आती रहती हैं। इस संदर्भ में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा सूचित किया गया है कि अवरुद्ध शौचालय/वॉशरूम पाइपलाइनों की सफाई के दौरान बड़ी मात्रा में सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े पाइपों के अंदर जमा पाए गए, जिससे सीवर लाइनों में अवरोध उत्पन्न हुआ तथा स्वच्छता व्यवस्था को क्षति पहुँची।

वरिष्ठ उप महालेखाकार-सह-सम्पदा अधिकारी द्वारा इस को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में आदेश दिए गए हैं कि इस प्रकार की गतिविधियाँ अत्यंत आपत्तिजनक, अस्वच्छ एवं कार्यालय अनुशासन के विरुद्ध हैं तथा इससे रखरखाव एवं मरम्मत पर अनावश्यक व्यय भी होता है। अतः एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि:

1. गॉर्टन कैसल भवन के संपूर्ण परिसर में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला अथवा किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
2. भवन के अंदर, विशेषकर शौचालयों/वॉशरूम में धूम्रपान करना पूर्णतः वर्जित है।
3. उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
4. सभी अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

It has been brought to the notice of Competent Authority that instances of chewing of tobacco and smoking in the washrooms/toilets of Gorton Castle Building and Railway Board Building are continuing, despite existing instructions. In this connection, CPWD has informed that during the cleaning of blocked toilet/ washroom pipelines, a large number of cigarette/bidi butts were found accumulated inside the pipes, resulting in blockage of sewer lines and causing damage to the sanitation system.

Sr. Deputy Accountant General -cum-Estate Officer has viewed the matter seriously and directed such acts are highly objectionable, unhygienic, and against office discipline, besides leading to avoidable expenditure on maintenance and repairs. Accordingly, it is hereby ordered that:

1. Chewing of tobacco, gutkha, pan masala or any other tobacco products is strictly prohibited in the entire premises of Gorton Castle Building.
2. Smoking inside the building, particularly in washrooms/toilets, is strictly banned.
3. Any official or staff found violating these instructions shall be liable for disciplinary action as per the applicable rules.
4. All Section Heads are requested to ensure wide circulation of this order and strict compliance by officials and staff working under their control.

**This issues with the approval of Sr. Deputy Accountant General (Admn).**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
सम्पदा प्रबंधन

क्रमांक EMS/ऑडिट/विविध/2025-26/18-02-2026

I/1319564/2026

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रधान सचिव महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
2. प्रधान सचिव महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
3. निजी सचिव, उप महालेखाकार (प्रशासन-लेखापरीक्षा)
4. निजी सचिव उप महालेखाकार (प्रशासन- लेखा एवं हकदारी)
5. निजी सचिव उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - I)
6. निजी सचिव उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - II)
7. निजी सचिव उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - III)
8. कल्याण सहायक, कल्याण अधिकारी
9. सूचना पट

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सम्पदा प्रबधन

---

Phone: +91-177-2652607

E-mail: [agauhimachalpradesh@cag.gov.in](mailto:agauhimachalpradesh@cag.gov.in)